न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 01/2020 (उदयपुर डिक्री)

पूरा पिता धूला डांगी (मृतक) के बजाय :–

1/1. नारायणलाल पिता पूरा डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती पुष्पा पुत्री पूरा डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. हीरालाल पिता पूरा डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. रोशनलाल पिता पूरा डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. श्रीमती भूरी बाई बेवा पूरा डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता कालूलाल जी अग्रवाल, निवासी सूरजपोल, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2. किशनलाल पिता जोधराज जी अग्रवाल (मृतक) के बजाय :–

2/1. ललिल पिता मोहनलाल जी अग्रवाल, निवासी सूरजपोल, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी(फास्ट ट्रेक)
गिर्वा दि॰ 03.12.2019 प्र.सं. 218/19

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 23–01–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा में साबिक आराजी नंबर 271 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं 848 रकबा पौन बीघा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 2238 रकबा 0.2700, आराजी नंबर 2214 रकबा 0.0800 हैक्टर हैं। उक्त भूमि प्रतिवादी की थी, जिन्होंने वादी को ट्रान्सफर कर कब्जा सिपुर्द कर दिया था, परन्तु ट्रान्सफर का दस्तावेज मिल नहीं रहा है, जबकि कब्जा वादी का 100 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है, जिससे वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कानूनन खातेदार हो चुके हैं। अतः वादी को आराजीयात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर दिनांक 03–12–2019 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01–01–2020 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थिता उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद को साबित कराया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मामलों में पारित आदेशों के अनुसार धारा 63 (4) के आधार पर प्रतिवादी के खातेदार अधिकार समाप्त हो जाते हैं तथा वादी स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो जाता है। वादी का कब्जा अपने पिता के समय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से चला आ रहा है, जो फैसला दिया गया है उसको रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव नहीं होता है। अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:25 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम के पूर्व ही कथित जमीन के खातेदार हो चुके थे। अधीनस्थ न्यायालय ने कयासी आधार पर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलान्टगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट/वादी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है, जो राजस्थान काश्तकारी कानून में देय नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/वादी ने अपने वाद में यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादी के पिता को उक्त आराजियात ट्रान्सफर कर दी गयी थी, किन्तु ट्रान्सफर के दस्तावेज मिल नहीं रहे है, जबकि उनका कब्जा 100 वर्षो से अधिक समय से बेरोकटोक चला आ रहा है, जिससे वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार हो चुके हैं। वादी के उक्त वाद के अभिवचनों से स्पष्ट है कि वादी/अपीलान्ट का वाद मुख्यता प्रतिकूल कब्जे के आधार पर है तथा वर्तमान काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 721 अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं होने से अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 03–12–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:25 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

पूरा के बजाय नारायणलाल पिता पूरा डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, उदयपुर त्हसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **भंवरलाल पिता कालूलाल जी अग्रवाल, निवासी सूरजपोल, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰....**01 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....
(फास्ट ट्रेक) गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....03**.....माह.....**12**.....**.....2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**.....माह.....**01**.....सन् **2025** रूबरू.....**.पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपीलान्ट अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 03–12–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**.01**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:25 IST
Reason: SelfAttested